संख्या-1/2015/272/53-15-2(53)/13

प्रेषक,

एस0 राजलिंगम,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

उप दुग्धशाला विकास अधिकारी,
दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0,
आजमगढ़।

दुग्ध विकास अनुभाग लखनऊः दिनांक- 16 फरवरी, 2015

विषय-वित्तीय वर्ष 2014-15 में जनपद आजमगढ़ (बूढनपुर) में डेरी की स्थापना हेतु अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति (जिला योजना-सामान्य)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दुग्ध आयुक्त, के पत्रांक-576-78/दुग्ध-4/नियो0/आजमगढ़(160)/2014-15, दिनांक-03.02.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-1765/53-14-2(53)/13, दिनांक-03 सितम्बर, 2014 द्वारा जनपद आजमगढ़ के (बूढनपुर) क्षेत्र में दुग्धशाला की स्थापना हेतु वर्ष 2014-15 के आय व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) की धनराशि स्वीकृत की गयी थी। जनपद आजमगढ़ के (बूढनपुर) क्षेत्र में दुग्धशाला की स्थापना हेतु श्री राज्यपाल वर्ष 2014-15 के आय व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय किस्त के रूप में रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) की धनराशि की वित्तीय/प्रशासकीय स्वीकृति **संलग्नक-क** के अनुसार निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी आजमगढ़ के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि शासन की पूर्व अनुमति के बिना उक्त वित्तीय सहायता से आंशिक अथवा पूर्ण रूप से अर्जित सम्पत्ति को निस्तारित अथवा अधिभारित नहीं किया जायेगा और न ही उसका उपयोग निर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन/उद्देश्य के लिये होगा तथा धनराशि सम्बन्धित संस्था को अवमुक्त करने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाये कि गत वर्षो में स्वीकृत वित्तीय सहायता का पूर्ण उपयोग सम्बन्धित संस्था द्वारा कर लिया गया है। आवश्यकता पड़ने पर आपके कार्यालय एवं दुग्ध संघ के लेखा एवं बही खाते भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के अवलोकनार्थ/परीक्षणार्थ प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि से निर्माण कार्य पी0डब्लयू0डी0 के शेडयूल रेट पर कराया जायेगा।

(3) परियोजना का सक्षम स्तर से तकनीकि स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(4) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टयों की जिम्मेदारी प्रशासनिक विभाग की होगी।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि का आहरण किया जायेगा, जो चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की जा सके एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते अथवा डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में पी0एफ0ए0डी0 की शर्तो एवं वित्त बजट-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-09.07.12 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है, तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु दी जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाये।

(9) प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुंसगत क्रय नियमों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज का भुगतान किया जायेगा।

(11) 01 प्रतिशत लेबर-सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(12) प्रश्नगत धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

2- उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-16 के अधीन लेखा शीर्षक-**'2404-डेरी विकास-आयोजनागत-191-नगर निगमों को सहायता-04-जनपद आजमगढ़ के बूढनपुर क्षेत्र में दुग्धशाला की स्थापना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)''** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0संख्या- ई-2-139/दस-2015, दिनांक-16 फरवरी, 2015 में प्राप्त सहमति के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(एस0 राजलिंगम)
विशेष सचिव।

संख्या-272(1)/53-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
5- दुग्धशाला विकास अधिकारी, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
6- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्करोड, लखनऊ।
7- जिलाधिकारी, आजमगढ़।
8- मुख्य विकास अधिकारी, आजमगढ़।
9- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, आजमगढ़ ।
10- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
11- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3
12- अर्थ एवं संख्या अधिकारी, आजमगढ़।
13- मंडलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0।
14- इकाई प्रभारी, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, आजमगढ़।
15- वेबमास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
अनु सचिव।

http://srisanadesh.up.nic.in

संलग्नक-क

शासनादेश संख्या-272/53-15-2(53)/13, दिनांक- 16 फरवरी, 2015 का संलग्नक।

क्र0	संयंत्र का नाम एवं क्षमता	संख्या	धनराशि (लाख रू0 में)
1	एस0एस0 वे बाउल (500 लीटर)	01	0.60
2	डम्प टैंक (1000 लीटर/दिन)	01	0.80
3	एस0एस0 मिल्क पम्प (2000/ 5000 ली0/घंटा)	04	3.00
4	मिल्क चिलर (5000 ली0/घंटा)	01	2.50
5	रा मिल्क टैंक (5000 ली0)	03	12.00
6	एस0एस0 पाईप एवं फिंटिग	-	3.90
7	पैनल बोर्ड व केबिल	01	6.00
8	एस0एस0 कैन स्क्रबर	02	1.20
9	पावर लाईन	-	20.00
	योग-		50.00

(रू0 पचास लाख मात्र)

(कलाम मुहीउद्दीन)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in